

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र गालाबेरी

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

खुमाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट
निवासी सुखसागर, शिवकर तहसील
व जिला बाड़मेर।

1. बुधराराम पुत्र मोटाराम 2. खेताराम
पुत्र मोटाराम 3. इसराराम पुत्र
डूगराराम जातियान जाट निवासीयान
सुखसागर, शिवकर तहसील व जिला
बाड़मेर। 4. पूनमाराम पुत्र गोधूराम 5.
जेताराम पुत्र गोधूराम 6. पुरखाराम पुत्र
पीराराम 7. जैसाराम पुत्र पीराराम 8.
नारणाराम पुत्र पीराराम 9. हरदान पुत्र
पीराराम 10. दलाराम पुत्र पीराराम
जातियान जाट निवासीयान गालाबेरी
तहसील व जिला बाड़मेर। 11.
नखताराम पुत्र सुखाराम 12. रेखाराम
पुत्र सुखाराम जातियान माली
निवासीयान सुख सागर, शिवकर
तहसील व जिला बाड़मेर। 13.
भीयाराम पुत्र खेताराम 14. देराराम पुत्र
खेताराम 15. गेनाराम पुत्र खेताराम
जातियान जाट निवासीयान सुखसागर,
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-118/2020 दिनांक-14.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुखसागर पटवार हल्का शिवकर, तहसील व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 579 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 937/581 रकबा
45.04 बीघा, खसरा नम्बर 939/581 रकबा 28.03 बीघा, खसरा नम्बर 940/580
रकबा 11 बिस्वा, कुल रकबा 74.04 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित
करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरी कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पत्थरगद्दी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के
मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा
मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक-14/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6596-6599

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एगो पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर को भोजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खुमाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट, निवासी सुखसागर शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बुधराराम पुत्र मोटाराम जाति जाट/माली निवासी सुखसागर, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर